रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 244] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 28, 1974/ज्येष्ठ 7, 1896
No. 244] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 28, 1974/JYAISTHA 7, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRY

ORDER

New Delhi, the 28th May 1974

S.O. 328(E).—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Department of Industrial Development), No. S.O 1027, dated the 6th March, 1971, the Management of the industrial undertaking known as Messrs Braithwaite and Company (India) Limited, Calcutta (hereinafter in this Order referred to as the industrial undertaking) has been taken over under Section 18A of the Industries (Develoment and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) for a period of five years commencing from the 6th day of March, 1971;

And whereas the Government of India is satisfied that it is necessary so to do in the interests of the general public with a view to preventing fall in the volume of production in a scheduled industry, namely, Railway Rolling Stock;

And whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industrial Development No. S.O. 381(E) dated the 29th May, 1972 (hereinafter referred to as the said Order), read with the Order of the Government of India in the Ministry of Heavy Industry No. S.O. 296(E), dated the 28th May 1973, the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) read with sub-section (2), of section 18FB of the said Act declared that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force to which the industrial undertaking was a party or which may be applicable to it immediately before the 6th day of March, 1971 shall remain suspended up to the 28th May, 1974.

And whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended by a further period of one year:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) read with sub-section (2), of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order by a further period of one year up to the 28th May, 1975.

[No. 1/53/71-HM-III]

S. M. GHOSH, Jt. Secy.

भारी उद्योग मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 28 मई, 1974

का० आ० 328 (अ).—यत: भारत सरकार, औद्योगिक विकास और आन्तरिक व्यापार मंत्रालय (औद्योगिक विकास मंत्रालय) के आदेश सं० का० आ० 1027, तारीख 6 मार्च, 1971 द्वारा मैसर्स ब्रेथ व्हाइट एण्ड कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड, कलकत्ता (जिसे इस आदेश में इसके पश्चात् औद्योगिक उपक्रम कहा गया है)के नाम से ज्ञात औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क के अधीन 6 मार्च, 1971 से प्रारम्भ होने वाली 5 वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण कर लिया गया है ;

और यत: भारत सरकार का समाधान हो गया है ऐसा करना जन-साधारण के हित में अनुसूचित उद्योग, अर्थात् रेलवे रौलिंग स्टाक के उत्पादन के परिमाण में कमी को रोकने की दृष्टि से आवश्यक है ।

और यत: केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय के आदेश संख्या का० आ० 296(ई), तारीख 28 मई, 1973 के साथ पठित भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 381 (ई), तारीख 29 मई, 1972 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा उक्त अधिनियम, की धारा 18 च ख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषणा की थी कि प्रवृत्त ऐसी सभी संविदाएं, संपत्ति के हस्तान्तरणपत्रों, करारों, समझौतों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों का प्रवर्तन जिनका वह औद्योगिक उपक्रम एक पक्षकार था या जो 6 मार्च, 1971 से ठीक पूर्व उसे लागू थे, 28 मई 1974 तक निलम्बित रहेगा ;

और यत: केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि एक वर्ष के लिए और बढ़ाई जानी चाहिए ;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च ख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की अवधि 28 मई, 1975 तक एक वर्ष के लिए और बढ़ा दी है ।

[सं० 1/53/71-एच० एम–III]

एस० एम० घोष, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974